लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
मैनुअल संख्या – 13
(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4(1)(ख)(XIII))

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

लघु सिंचाई विभाग द्वारा काश्तकारों को लघु सिंचाई हेतु नगद धनराशि के रूप में किसी प्रकार की रियायत, अनुज्ञा पत्र अथवा प्राधिकार देने का कार्य नहीं किया जाता है, तथापि वर्ष 2005–06 तक लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए निःशुल्क बोरिंग नामक योजना संचालित की जाती रही। इस योजना का स्वरूप इत्यादि का विस्तृत व पूर्ण विवरण मैनुअल–12 में अंकित किया गया है।

यह योजना जिला योजनान्तर्गत धनराशि प्राप्त होने पर ही कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2006–07 के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना मद में कोई धनराशि प्राप्त नहीं है। अतः वर्तमान में यह योजना क्रियाशील नहीं है।

******